प्रेषक,

जिलाधिकारी,
पिथौरागढ़।

सेवा में,

सचिव,
औद्योगिक विकास (खनन)
अनुभाग–1,
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

संख्या–1·3377/तीस–खनन/2022–23 दिनांक मार्च 25, 2023

विषय :– **जनहित याचिका संख्या–17/पी0आई0एल0/2023 रमेश लाल @ रमेश कम्बोज बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया शासन के पत्र संख्या–504/VII–A–1/2023–09(05)/2023 दिनांक मार्च 25, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या–17/2023 रमेश लाल @ रमेश कम्बोज बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.03.2023 के अनुपालन में राज्य के प्रत्येक जनपद में अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु गठित जिला अवैध खनन निरोधक दल (District Anti illegal Mining Force) के क्रम में जनपद स्तर पर गठित की गई समिति के आदेश की प्रति उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है।

इस सम्बन्ध में जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत जिला अवैध खनन निरोधक दल (District Anti illegal Mining Force) गठन सम्बन्धी आदेश दिनांक 25.03.2023 की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न–उक्तानुसार।

भवदीय

(रीना जोशी)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

255 Janral-4

Scanned with CamScanner

आदेश

सचिव, उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1, देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संख्या–469/VII–A–1/2023/09(05)/2023 दिनांक मार्च 22, 2023 के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या–17/2023 रमेश लाल @ रमेश कम्बोज बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.03.2023 के अनुपालन में राज्य के प्रत्येक जनपद में अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु जिला अवैध खनन निरोधक दल (District Anti illegal Mining Force) का गठन किया गया है।

उक्त के अनुपालन में जनपद पिथौरागढ़ हेतु जिला अवैध खनन निरोधक दल (District Anti illegal Mining Force) का निम्नवत् गठन किया जाता है :–

1. जिलाधिकारी – अध्यक्ष।
2. पुलिस अधीक्षक – सदस्य।
3. प्रभागीय वनाधिकारी – सदस्य।
4. जिला खान अधिकारी – सदस्य।
5. सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी – सदस्य।
6. श्री एम0सी0 पन्त, (चैयमैन रैडक्रास सोसायटी) निवास लिन्ठ्यूड़ा, पिथौरागढ़। – सदस्य।

इसके अतिरिक्त परगना स्थल पर अवैध खनन की रोकथाम हेतु परगना स्तरीय अवैध खनन निरोधक दल(Anti illegal Mining Force) निम्नानुसार गठन किया जाता है :–

1. सम्बन्धित उप जिलाधिकारी – अध्यक्ष।
2. सम्बन्धित पुलिस क्षेत्राधिकारी – सदस्य।
3. सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी – सदस्य।
4. जिला खान अधिकारी – सदस्य।
5. सहायक सम्भागीय परिवन अधिकारी – सदस्य।
6. सम्बन्धित खनन क्षेत्र के ग्राम प्रधान – सदस्य।

उक्त जिला स्तरीय/परगना स्तरीय अवैध खनन निरोधक दल (Anti illegal Mining Force) अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

दिनांक मार्च 25, 2023

(रीना जोशी)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
संख्या–2·4021 /तीस–खनन/2022–23 दिनांक मार्च 25, 2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. पुलिस अधीक्षक, पिथौरागढ़।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।
3. समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद पिथौरागढ़।
4. जिला खान अधिकारी, पिथौरागढ़।
5. समस्त उप प्रभागीय वनाधिकारी, जनपद पिथौरागढ़।
6. सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, पिथौरागढ़।
7. उपरोक्त समिति के नामित सदस्यगण।

(रीना जोशी)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

254 Janral-4

Scanned with CamScanner